न्यायालय जिला कलक्टर,बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री शिवप्रसाद एम.नकाते आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 64/2016

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेंट
जोगसिंह पुत्र भुरसिंह जाति राजपुत निवासी सांसियो की बस्ती–बांदरा तहसील बाड़मेर		राजस्थान सरकार जरिये, तहसीलदार,बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश 09.10.2015 बमुकदमा संख्या 12/2015 द्वारा तहसीलदार,बाड़मेर

उपस्थितः–1.श्री विष्णु चौधरी अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2.श्री सोहन दवे राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय दिनांक 31.01.2018

1. अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार,बाड़मेर द्वारा प्रकरण संख्या 12/2015 में पारित निर्णय दिनांक 09.10.2015 के विरूद्ध धारा 75 राजस्थन भू–राजस्व अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है।
2. संक्षेप में अपीलांट की अपील के तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का बान्दरा ने तहसीलदार,बाड़मेर के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र पेश किया कि अपीलांट–जोगसिंह ने सम्वत् 2072 में मौजा सांसियो की बस्ती के खसरा नम्बर 562 कुल रकबा 34 बीघा 19 विस्वा किस्म बा.दो भूमि पर अतिक्रमण कर आवासीय मकान व बाजरी,मोठ की काश्त की है। इस पर तहसीलदार, बाड़मेर ने प्रकरण संख्या 12/15 दर्ज कर बाद,जॉच एंव सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.10.2015 द्वारा अपीलांट को पश्चात्वृति अतिक्रमी घोषित करते हुए प्रश्नगत भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये, 105/–जुर्माना आरोपित किया एंव एक माह की सिविल कारावास की सजा भुगताने के भी आदेश पारित किये। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील हमारे समक्ष पेश की है।
3. हमने अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को सम्मन किया एंव अपीलाधीन पत्रावली तलब की।
4. हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को जारी नोटिस की व्यक्तिगत तामिल नहीं है। अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ईकतरफा आदेश पारित

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

किया गया है,जो प्राकृतिक न्याय के प्रतिकूल है। अपीलांट पश्चात्वति अतिक्रमी नहीं है। अपीलांट को पश्चात्वृति अतिक्रमी घोषित करने के सम्बन्ध में पत्रावली पर कोई दस्तावेजी सबूत प्रदर्शित नहीं हुए है विवादग्रस्त भूमि पर अपीलांट का मौके पर कब्जा काश्त नहीं है। अपीलांट ने अतिक्रमण हटा दिया है,जुर्माना की राशि अदा कर दी है। इसलिये सिविल कारावास की सजा माफ की जाए। इसके जवाब में राजकीय अभिभाषक का यह तर्क है कि अपीलांट ने सम्वत् 2071 में भी अतिक्रमण किया था और उसे बेदखल किया गया था। अपीलांट ने इस भूमि पर सम्वत् 2072 में पुनः अतिक्रमण किया है। अपीलांट पश्चात्वृति अतिक्रमी है। अपीलांट की अतिक्रमण करने की प्रवृति को छुड़ाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है, वह सही है। लिहाजा अपीलांट की अपील खारिज की जाए।

5. हमने दोनो पक्षों के तर्को पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली एंव तहसीलदार बाड़मेर से प्राप्त मौका रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पटवारी हल्का बान्दरा की रिपोर्ट अनुसार अपीलांट द्वारा मौजा सांसियो की बस्ती के खसरा नम्बर 562 रकबा 34–19 बीघा किस्म बा.दो. भूमि पर अतिक्रमण कर आवासीय मकान व बाजरी,मोठ की काश्त करने पर अपीलांट के विरूद्ध धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर, अपीलांट को सुनवाई हेतु पेशी तारीख 26.08.2015 का नोटिस जारी किया गया,जो अपीलांट स्वम् द्वारा तामिल किया गया है। अपीलांट पेशी तारीख 26.04.2015 व 09.10.2015 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ है और दिनांक 26.04.2015 व 09.10.2015की आर्डर शीट पर अपीलांट जोगसिंह के हस्ताक्षर है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एंव बयान अनुसार अपीलांट द्वारा इस भूमि पर सम्वत् 2071 में भी अतिक्रमण किया गया था जिस पर मुकदमा संख्या 01/14 दर्ज किया जाकर आदेश दिनांक 15.10.14 द्वारा अतिक्रमी घोषित कर प्रश्नगत भूमि से बेदखल करने एंव जुर्माना आरोपित करने के आदेश दिये थे जिस पर अपीलांट को भौतिक रूप से बेदखली की कार्यवाही की जाकर कब्जा बहक सरकर प्राप्त किया है, जिसकी बेदखली एंव कब्जा प्राप्ति रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति पत्रावली पर मौजूद है। इससे प्रकट है कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट पश्चात्वृति अतिक्रमी है। अतः उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट हैं कि अपीलांट द्वारा दुबारा अतिक्रमण किया है।धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 के अनुसार कोई व्यक्ति जिसने भूमि पर बिना किसी विधि संगत (**unlawful**) प्राधिकार के अधिवास (occupation) कब्जा कर रखा हो या अधिवास रखता चला आ रहा है तो उसे अतिक्रमणकारी समझा जावेगा। अपीलांट ने राजकीय भूमि पर बिना विधि संगत प्राधिकार के कब्जा करने के फलस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बेदखल

जिला कलेक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

करने,जुर्माना आरोपित करने एंव सिविल कारावास भुगताने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है वह सही एंव न्यायोचित है। इस स्टेज पर अधिवक्ता अपीलांट ने निवेदन किया कि अपीलांट ने जुर्माना की राशि अदा कर दी है व अतिक्रमित भूमि से कब्जा हटा दिया है। इसलिये सिविल कारावास की सजा माफ की जाएं। इस सम्बन्ध में तहसीलदार बाड़मेर से प्राप्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। मौका रिपोर्ट अनुसार अपीलांट जोगसिंह का वादग्रस्त खसरा नम्बर की भूमि पर कोई कब्जा काश्त नहीं बताया है। चूँकि अपीलांट ने भूमि पर कब्जा छोड़ दिया है। लिहाजा अपीलांट के प्रति सहानुभूति का रूख अपनाते हुए, सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है

(शिवप्रसाद एस.नकाते)
जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 31.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner